

ज्ञाप संख्या-जी0/बी0टी0-30-25/2017.....\0...../जे0, पटना दिनांक..15/01/18.
सेवा में,

अपर सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी,
सम्पर्क कार्यालय (विधि विभाग),
बिहार भवन, नई दिल्ली।

विषय:- मुख्यशीर्ष-2014-न्याय प्रशासन-लघुशीर्ष-114-विधि सलाहकार और परामर्शदाता (काउन्सिल), उपशीर्ष-0001-कानूनी सलाहकार और परामर्शदाता के अन्तर्गत-0001.01-वेतन मद में वित्तीय वर्ष 2017-18 में उपबंधित राशि से व्यय हेतु कुल-15,00,000/- (पन्द्रह लाख) रुपये का अतिरिक्त आवंटन की स्वीकृति।

प्रसंग:- आपका पत्र संख्या-21, दिनांक-05.01.2018

आदेश:- स्वीकृत।

- व्यय का विकलन मुख्यशीर्ष-2014-न्याय प्रशासन, लघुशीर्ष-114-विधि सलाहकार और परामर्शदाता (काउन्सिल), उपशीर्ष-0001-कानूनी सलाहकार और परामर्शदाता के अन्तर्गत वेतन विषयशीर्ष मद में वित्तीय वर्ष 2017-18 में होगा।
- राशि का आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561वि0(2), दिनांक-17.04.1998 में दिये गये निर्देश के आलोक में दिया जाता है।
- वित्त विभाग के ज्ञाप संख्या-428/वि0, दिनांक-31.03.2017 के आलोक में उपबंधित राशि को नियमानुसार व्यय करने की अनुमति प्रदान की जाती है।
- कृपया मासिक व्यय विवरणी शीघ्र भेजा जाय। लेखा सत्यापन हेतु ससमय विहित प्रपत्र में व्यय प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाय।
- इस शीर्ष की मांग सं0-27 एवं विपत्र कोड-27-2014001140001 है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,


(सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा)

सरकार के सचिव, बिहार।

ज्ञाप संख्या-जी0/बी0टी0-30-25/2017.....\0...../जे0, पटना दिनांक..15/01/18

प्रतिलिपि:-लेखा पदाधिकारी, बिहार भवन-5, कौटिल्य मार्ग, नई दिल्ली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।


(सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा)

सरकार के सचिव, बिहार।

ज्ञाप संख्या-जी0/बी0टी0-30-25/2017.....\0...../जे0, पटना दिनांक..15/01/18

प्रतिलिपि:-विभागीय आई0टी0 मैनेजर, विधि विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।


(सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा)

सरकार के सचिव, बिहार।
12/1/18